

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित
आवासीय विद्यालयों में सत्र 2025-26 में नामांकन के लिए आवश्यक सूचना

बिहार के सभी 91 आवासीय विद्यालयों में
वर्ग-1 एवं वर्ग-6 में संभावित रिक्तियों के विरुद्ध
नामांकन की सूचना

परीक्षा एवं नामांकन
निःशुल्क

आवेदक के माता/पिता या अभिभावक की कोई आय सीमा नहीं है।

परीक्षा हेतु आवश्यक सूचना

- (क) सभी संचालित 91 आवासीय विद्यालयों में वर्ग-1 में नामांकन "लॉटरी पद्धति" तथा वर्ग-VI में नामांकन हिन्दी-20 अंक, अंग्रेजी-20 अंक, गणित-20 अंक, विज्ञान-20 अंक, तथा समाजिक विज्ञान-20 अंक की वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर होगा। पाँच विषयों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र दो घंटे का होगा।
- (ख) आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु 01.04.2025 को आयु सीमा वर्ग-1 के लिये 5-7 वर्ष एवं वर्ग-VI के लिए 10-13 वर्ष होनी चाहिए।
- (ग) विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र हस्तलिखित या टंकित प्रति में अपने जिला के जिला कल्याण कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। अथवा ऑनलाईन के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकेगा। (वेबसाइट:-<http://state.bihar.gov.in/scstwelfare>)
- (घ) वर्ग-VI में परीक्षा उपरान्त चयनित छात्र/छात्रा को अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी भी आवासीय विद्यालय में नामांकन करने की अनुशंसा की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया की तिथि

- आवेदन पत्रों समर्पण की तिथि(अवधि) :- 20.01.2025 से 15.02.2025
- प्रवेश-पत्र प्राप्ति की अवधि :- 26.02.2025 से 28.02.2025
- परीक्षा की तिथि :- 01.03.2025 (शनिवार)
- परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि :- 11.03.2025
- नामांकन की तिथि :- 13.03.2025 से 25.03.2025
- कक्षा प्रारंभ होने की तिथि :- 01.04.2025

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में नामांकन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र

प्रवेश पत्र

- 1-छात्र/छात्रा का नाम:-
- 2-पिता का नाम:-
- 3-पूरा पता:-
- 4-जन्म तिथि:-वर्ष..... माह.....दिन.....
- 5-परीक्षा का विषय:-सभी संचालित 87 आवासीय विद्यालयों में वर्ग-VI में नामांकन के लिए-गणित 20 अंक (20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न)
हिन्दी 20 अंक (20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न)
अंग्रेजी 20 अंक (20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न)
विज्ञान 20 अंक (20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न)
सामाजिक विज्ञान 20 अंक (20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न)
- 6-परीक्षा की तिथि:-01.03.2025 एवं समय:-10 बजे से 12 बजे
- 7-जिला कोड :-
- 8-क्रमांक :-
- 9-परीक्षा केन्द्र :-
- 10-पहचान चिन्ह :- जिला कल्याण पदाधिकारी
आवेदक का हस्ताक्षर का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्राप्ति रसीद

- आवेदक का नाम एवं पता:- आवेदन सं०-
- जिला कल्याण कार्यालय का नाम:-

निदेशक

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना

आवेदन-पत्र

- 1-आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में):-
- 2-विद्यालय/संस्था का नाम:-
- 3-जन्म तिथि:-वर्ष.....माह.....दिन.....
- 4-पिता का नाम तथा पूरा पता:-
- (01.04.2025) को आवेदक का उम्र
- 5-राष्ट्रियता:-
- 6-अनु०जाति/अनु०जनजाति का नाम.....(उप जाति सहित एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 7-अभिभावक का नाम एवं पूरा पता:-
- 8-शैक्षणिक योग्यता:-
- (यदि पिता/माता न हों)
- (वर्ग I के लिए शुल्क एवं वर्ग VI के लिए पंचम वर्ग उत्तीर्ण/पंचम वर्ग परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित प्रमाण पत्र)
- 9-आवासीय विद्यालय का क्रमानुसार नाम जहाँ आवेदक प्राथमिकता के आधार पर नामांकन चाहता है-(विभाग प्राथमिकता से बाध्य नहीं होगा एवं किसी भी आवासीय विद्यालय में छात्र/छात्रा को नामांकन करने की अनुशंसा की जाएगी)
- (i)
- (ii)
- 10-शरीर पर पहचान चिन्ह:-
- 11-आधार संख्या:-

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिये गए सभी विवरणों सही है और मेरे पुत्र/पुत्री प्रतिपाद्य आवासीय विद्यालय में अनुशासन में रह कर विद्यालय के नियमों का पालन निष्ठापूर्वक करेगा/करेगी। मेरे पुत्र/पुत्री को अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी भी विद्यालय में नामांकन/स्थानांतरण होने पर मेरी पूर्ण रूप से सहमति होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक कागजात:-अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल/स्व० अभिप्रमाणित प्रति, तीन फोटोग्राफ के साथ, उम्र सीमा-संबंधी प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण-पत्र से संबंधित शपथ-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

नोट:-1. डॉ० भीम राव अम्बेडकर अनु० जाति आवासीय विद्यालयों में कुल स्वीकृत छात्र बल का अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए 10 प्रतिशत एवं राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए कुल स्वीकृत छात्र बल का 10 प्रतिशत सीटें आवंटित किया जायेगा तथा डॉ० भीम राव अम्बेडकर अनु० जाति आवासीय विद्यालयों में 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्र नहीं मिलने पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन एवं राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्र नहीं मिलने पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन किया जायेगा।

2. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिला के जिला कल्याण कार्यालय में संपर्क करें या विभाग के वेबसाइट:- <http://state.bihar.gov.in/scstwelfare> पर लॉगइन करें।